राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक :पीएसकेएस अभि.–2021/डीएलबी/23/4692 दिनांक :– 26/06/2023

आदेश

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 12.05.23 द्वारा कृषि भूमि के औधोगिक सम्परिवर्तन को अधिक सुगम बनाने की दृष्टि से 10,000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के औधोगिक सम्परिवर्तन की स्वीकृति हेतु नगर पालिका स्तरीय समिति निम्न गठित की गई है:–

1. जिला कलक्टर – अध्यक्ष
2. आयोजना शाखा का वरिष्ठतम अधिकारी (ATP/DTP/STP) – सदस्य
3. जिला कलक्टर कार्यालय में पदस्थापित उच्चतर विधि अधिकारी – सदस्य
4. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी – सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त नगर निगम/परिषद/पालिकाओं को निम्न क्षेत्रफल की सीमा तक पट्टा विलेख जारी किये जाने के अधिकार प्रदत्त किये गये है:–

1. आवासीय/फार्म हाऊस/रिसोर्ट – 15,000 वर्गमीटर तक
2. गैर आवासीय – 5000 वर्गमीटर तक

अतः उपरोक्त सीमा क्षेत्रफल तक के विभाग में विचाराधीन प्रकरणों को नगरीय निकायों को लौटाकर निर्देशित किया जावें कि प्रकरणों का संबंधित नियमों/प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार निस्तारण किया जावें।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक :पीएसकेएस अभि.–2021/डीएलबी/23/4693-4938 दिनांक :– 26/06/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकायें, राजस्थान।
2. भूमि अनुभाग, निदेशालय को पालनार्थ।
3. सुरक्षित पत्रावली।

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक

D/PSKS2021/Order